अनुबंध

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2025 से मार्च 2026[1]

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
	मौद्रिक नीति विभाग
09 अप्रैल 2025	मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक (बीपीएस) घटाकर 6.25 से 6.00 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एमपीसी ने रुख को तटस्थ से उदार में परिवर्तित करने का निर्णय लिया।
06 जून 2025	• एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 06.00 प्रतिशत से 0.50 प्रतिशत घटाकर 5.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एमपीसी ने इस रुख को समायोजन से तटस्थ करने का भी निर्णय लिया। • नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 6 सितंबर, 4 अक्तूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 25 बीपीएस की चार समान किश्तों में 100 बीपीएस से घटाकर 3.00 प्रतिशत कर दिया गया।
05 दिसंबर 2025	एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 5.50 प्रतिशत से 5.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एमपीसी ने तटस्थ रुख जारी रखने का भी निर्णय लिया।
	वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
11 जुलाई 2025	एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि बैंकों द्वारा संपार्श्विक मुक्त सीमा तक स्वीकृत उधारकर्ताओं द्वारा संपार्श्विक के रूप में सोने और चांदी के स्वैच्छिक गिरवी के लिए ऋणों को निर्दिष्ट सीमा तक कृषि ऋणों तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को ऋणों के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति को माफ करने के मौजूदा अनुदेशों के उल्लंघन के रूप में नहीं माना जाएगा।
01 दिसंबर 2025	वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) 2025-30, 1 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी। यह देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति को ऊपर उठाने की दिशा में पाँच रणनीतिक उद्देश्यों (*पंच-ज्योति*) को निर्धारित करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए 47 कार्य बिंदुओं की एक सूची तैयार करता है।
13 जनवरी 2026	*2025-26 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)* के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक ऋणों के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) की निरंतरता को अधिसूचित किया गया।
09 फरवरी 2026	औपचारिक ऋण तक बेहतर पहुंच को सुविधाजनक बनाने, उद्यमशीलता गतिविधि का समर्थन करने और सीमित संपार्श्विक के साथ एमएसई के लिए अंतिम व्यक्ति तक ऋण वितरण को मजबूत करने के उद्देश्य से, एमएसई के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी करते हुए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई।
	वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
08 मई 2025	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश के लिए अधिक लोचनीयता प्रदान करने के लिए, सामान्य मार्ग के तहत कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा अल्पकालिक निवेश सीमा और संकेंद्रण सीमा को समाप्त कर दिया गया।
16 जून 2025	तकनीकी क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति और उत्पादों की विविधता में वृद्धि को देखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए नियामकीय ढांचे की समीक्षा की गई और एक संशोधित 'मास्टर निदेश' – भारतीय रिज़र्व बैंक (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) निदेश, 2025 जारी किया गया।
12 अगस्त 2025	भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान के लिए एक विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (एसआरवीए) बनाए रखने वाले भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों (पीआरओआई) द्वारा निवेश के लिए लिखतों के समूह में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से उपर्युक्त खाते में उनके रुपये अधिशेष राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (ट्रेजरी बिलों सहित) में निवेश की अनुमति दी गई।
22 सितंबर 2025	गैर-प्रदेय व्युत्पन्नी संविदा (एनडीडीसी) बाजार तक पहुँच को व्यापक बनाने के लिए, अधिकृत व्यापारी श्रेणी-III (एडी-सीएटी-III) के रूप में अधिकृत एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को आईएनआर से जुड़े एनडीडीसी में लेनदेन करने की अनुमति दी गई।
03 अक्तूबर 2025	भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान के लिए एसआरवीए बनाए रखने वाले पीआरआई को इस तरह के निवेश के लिए लिखतों के समूह को बढ़ाने की दृष्टि से एक भारतीय कंपनी द्वारा जारी गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/बांड और वाणिज्यिक पत्रों में उपरोक्त खाते में उनके रुपये के अधिशेष शेष राशि को निवेश करने की अनुमति दी गई।

1 यह सूची सांकेतिक प्रकृति की है और इसका ब्यौरा रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
11 नवंबर 2025	'मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक [पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो)] निदेश, 2025' को रेपो लेनदेन के लिए पात्र प्रतिभूतियों के रूप में नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों को शामिल करने के लिए अद्यतन किया गया।
08 दिसंबर 2025	व्यापक वित्तीय प्रणाली की जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं को सहयोग देने और अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ब्याज दर डेरिवेटिव्स के लिए विनियामकीय ढांचे की समीक्षा की गई और एक संशोधित 'मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स) निदेश, 2025' जारी किया गया।
06 फरवरी 2026	डेट में एफपीआई निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत निवेश सीमाओं की उपलब्धता के बारे में अनुमान लगाने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, वीआरआर की निवेश सीमाओं को डेट में एफपीआई निवेश के लिए सामान्य मार्ग की निवेश सीमा के तहत शामिल कर लिया गया। वीआरआर के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रतिधारण अवधि से अधिक प्रतिधारण अवधि का लाभ प्राप्त करने वाले एफपीआई को न्यूनतम प्रतिधारण अवधि की समाप्ति के बाद वीआरआर से बाहर निकलने का विकल्प दिया गया।
18 फरवरी 2026	लेन-देन के वैश्विक एकत्रीकरण को सुविधाजनक बनाकर और विशिष्ट लेनदेन पहचानकर्ता (यूटीआई) के कार्यान्वयन के लिए एक ढांचा निर्धारित करके ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव बाजारों का व्यापक अवलोकन प्राप्त करने की दृष्टि से, ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों में सभी लेन-देन के लिए यूटीआई को अनिवार्य करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
27 मार्च 2026	• विनियामकीय निर्देशों की पहुँच और व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए वैध इकाई अभिज्ञापक और यूटीआई पर निर्देशों को समेकित करते हुए 'वित्तीय बाजारों में विशिष्ट अभिज्ञापक निदेश, 2026' जारी किए गए। • आईएनआर में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए, एडी को 10 अप्रैल, 2026 से प्रभावी करते हुए प्रत्येक कारोबारी दिन के अंत में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भीतर ऑनशोर डेलीवरेबल बाजार में आईएनआर (एनओपी-आईएनआर) की निवल स्थिति बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया गया।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
30 जून 2025	कॉल मनी मार्केट के समय को शाम 7:00 बजे तक बढ़ाने के परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के लिए परिचालन समय को शाम 5:30 बजे से 11:59 बजे तक से शाम 7:00 बजे से शाम 11:59 बजे तक संशोधित किया, जो 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा।
30 सितंबर 2025	रिज़र्व बैंक ने चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करने के लिए गठित आंतरिक कार्य समूह की सिफ़ारिस के साथ-साथ हितधारकों और आम जनता से प्राप्त टिप्पणियों/फीडबैक के आधार पर अपने चलनिधि प्रबंधन ढांचे को संशोधित किया।
विदेशी मुद्रा विभाग	
22 अप्रैल 2025	कंपाउंडिंग ऑर्डर (दूसरे या बाद के कंपाउंडिंग आवेदन के लिए जारी) में लगाई जा सकने वाली कंपाउंडिंग राशि के प्रावधान को पहले के गैर-अनुपालन कंपाउंडिंग ऑर्डर से जोड़ने और इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ाने (जैसा कि पहले के दिशानिर्देशों में प्रदान किया गया था) को समाप्त कर दिया गया।
23 अप्रैल 2025	निर्यातकों को गोदाम से माल की बिक्री की तारीख से नौ महीने के भीतर भारतमार्ट *को निर्यात किए गए माल की पूरी निर्यात आय प्राप्त करने और प्रत्यावर्त करने की अनुमति दी गई थी*। उन्हें तर्कसंगतता और बिना किसी पूर्व शर्त के अपने कार्यालयों के व्यावसायिक संचालन को स्थापित करने और जारी रखने के लिए प्रारंभिक और आवर्ती खर्चों के लिए गोदामों को खोलने/किराए पर लेने और धन भेजने की भी अनुमति दी गई थी।
24 अप्रैल 2025	कंपाउंडिंग मैट्रिक्स (मोटे तौर पर कंपाउंडिंग के माध्यम से अधिरोपित की जाने वाली राशि को दर्शाते हुए) में संशोधन किया गया था और किसी मामले में शामिल असाधारण परिस्थितियों/तथ्यों में और व्यापक जनहित में उल्लंघनों के शमन के लिए एक छोटी राशि लगाने के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इसके फलस्वरूप, कंपाउंडिंग प्राधिकारी को ऐसे मामलों के लिए लगाई गई राशि (प्रति नियम/विनियमन का उल्लंघन) को ₹2,00,000 तक सीमित करने की अनुमति दी गई थी।
29 अप्रैल 2025	हीरे/रंगीन रत्नों/हीरे और रंगीन रत्नों, जड़ित आभूषणों/सादे सोने के आभूषणों के आयात/निर्यात में ट्रैक रिकॉर्ड के मानदंड को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमों की अनुसूची-II में संशोधन करके दो से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया था।

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
11 जून 2025	भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखतें) नियमों में संशोधन के माध्यम से अधिसूचित किया है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए निषिद्ध क्षेत्र या गतिविधि में लगी कोई भारतीय कंपनी अपने पहले से मौजूद शेयरधारकों, जो पीआरओआई हैं, को बोनस शेयर जारी कर सकती है, बशर्ते कि ऐसे शेयरधारकों के शेयरधारिता पैटर्न में ऐसे निर्गम के अनुसार परिवर्तन न हो।
13 जून 2025	आयातकों को कुछ शर्तों के अधीन बिना बैंक गारंटी या बिना शर्त, अपरिवर्तनीय आपाती साख पत्र के बिना 50 मिलियन डॉलर तक के लदान पोत के आयात के लिए अग्रिम प्रेषण करने की अनुमति दी गई थी।
24 जून 2025	अपतटीय सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत से बाहर जाने वाले टग, टगबोट, ड्रेजर और जहाजों को निर्यात घोषणा दाखिल करने से छूट दी गई थी।
05 अगस्त 2025	एडी बैंकों को अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक को भेजे बिना विदेशी प्रतिनिधि बैंकों के विशेष रुपए वोस्ट्रो खाते (एसआरवीए) खोलने की अनुमति दी गई थी।
01 अक्तूबर 2025	• मर्चेंटिंग व्यापारियों को अपने मर्चेंटिंग ट्रेड लेनदेन (एमटीटी) को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, एमटीटी के मामले में विदेशी मुद्रा के परिव्यय के लिए समयावधि को चार से बढ़ाकर छह महीने करने का निर्णय लिया गया था। • निर्यात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) एवं आयात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (आईडीपीएमएस) में प्रविष्टियों को समय पर बंद करने की सुविधा प्रदान करना; और छोटे निर्यातकों और आयातकों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, एडी बैंकों को सूचित किया गया कि: o संबंधित निर्यातक द्वारा की गई घोषणा के आधार पर कि राशि वसूल की गई है या आयातक द्वारा कि राशि का भुगतान किया गया है, 10 लाख रुपए प्रति प्रविष्टि/बिल या उससे कम मूल्य की ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस पोर्टलों में प्रविष्टियों (बकाया प्रविष्टियों सहित) का मिलान और समापन करें; o संबंधित निर्यातक या आयातक द्वारा घोषणा के आधार पर शिपिंग बिल/बिल ऑफ एंट्री के घोषित मूल्य या चालान मूल्य में किसी भी कमी को स्वीकार करना होगा; तथा o ऊपर उल्लिखित संशोधित प्रक्रिया/रियायतों को ध्यान में रखते हुए इन छोटे मूल्य के निर्यात और आयात लेनदेनों को संभालने के लिए लगाए गए प्रभारों की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि वे प्रदान की गई सेवाओं के अनुरूप हैं और किसी भी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में विलंब के लिए कोई दंडात्मक प्रभार (जुर्माना) नहीं लगाया जाएगा।
03 अक्तूबर 2025	यह निर्णय लिया गया कि पहले से ही अनुमति प्राप्त निवेश चैनलों के अलावा, एसआरवीए में अधिशेष शेष राशि को लागू दिशानिर्देशों और सीमाओं के संदर्भ में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/बॉन्ड और भारतीय कंपनी द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्रों में भी निवेश किया जा सकता है।
06 अक्तूबर 2025	• एडी बैंकों, जिसमें भारत के बाहर उनकी शाखाएं भी शामिल हैं, को सीमा पारीय व्यापार लेनदेन के लिए भूटान, नेपाल या श्रीलंका के निवासी पीआरओआई को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी गई थी, जिसमें इन क्षेत्राधिकारों में एक बैंक भी शामिल था। • भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में खोले गए विदेशी मुद्रा-मूल्यवर्ग के खाते में निर्यात आय को एक महीने की मौजूदा शर्त से तीन महीने (9 अक्तूबर, 2025 से प्रभावी) तक बनाए रखने की अनुमति दी गई थी।
13 नवंबर 2025	• निम्नलिखित छूट दी गई: o भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं/सॉफ्टवेयर/सेवाओं के पूर्ण निर्यात मूल्य की प्राप्ति और प्रत्यावर्तन के लिए समय अवधि को भारत से निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ाकर पंद्रह महीने कर दिया गया था; तथा o माल के शिपमेंट के लिए समय अवधि अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष या समझौते के अनुसार, जो भी बाद में हो।

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
03 दिसंबर 2025	एडी श्रेणी-II बैंकों/संस्थाओं और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) द्वारा 1 जनवरी 2026 से प्रभावी ‹उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) दैनिक रिटर्न' को सीधे जमा करने में सक्षम बनाया गया है, जिससे उन्हें सीआईएमएस[2] पोर्टल तक पहुँच प्रदान की गई है। इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने एडी श्रेणी-I बैंकों के माध्यम से एलआरएस लेनदेन जमा करना बंद कर दिया है।
08 दिसंबर 2025	• मुद्रा ढांचे के मौजूदा निर्यात/आयात की समीक्षा करके यह निर्णय लिया गया कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक नहीं है, निम्नलिखित की अनुमति देगा: o भारत से नेपाल या भूटान ले जाना या भेजना, और नेपाल या भूटान से भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट ₹100 तक के मूल्यवर्ग में किसी भी राशि के लिए भारत में लाना; o भारत से नेपाल या भूटान ले जाएं, ₹100 से ऊपर मूल्यवर्ग के नोट ₹25,000 की कुल सीमा तक; तथा o नेपाल या भूटान से ₹100 से ऊपर के मूल्यवर्ग के नोटों को ₹25,000 की कुल सीमा तक भारत में लाएं।
10 जनवरी 2026	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) गारंटी ढांचे के युक्तिकरण के माध्यम से, स्वचालित मार्ग के तहत सक्षम गारंटी के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। जहां पिछले ढांचे में एक अनिवासी इकाई द्वारा जारी गारंटी के लिए कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, वहीं उक्त तर्कसंगत व्यवस्था के तहत एक प्रमुख देनदार और एक जमानतदार के बीच गारंटी लेनदेन के लिए प्राथमिक शर्तें, फेमा, 1999 के तहत अंतर्निहित लेनदेन को प्रतिबंधित नहीं किया गया हो, और ज़मानतदार तथा देनदार की आवासीय स्थिति अलग-अलग है, तो वे मौजूदा उधार/ऋण ढांचे के तहत पात्र ऋणदाता और उधारकर्ता हैं। इसके अलावा, सभी गारंटियों -जारी, संशोधित एवं लागू की गई के लिए त्रैमासिक आधार पर एक व्यापक रिपोर्टिंग शुरू की गई है।
15 जनवरी 2026	विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात), विनियम, 2026 प्रकाशित किए गए। ये नियम 1 अक्तूबर, 2026 से लागू होंगे।
09 फरवरी 2026	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ढांचे को अन्य *बातों के साथ-साथ* पात्र उधारकर्ताओं और मान्यता प्राप्त ऋणदाताओं के क्षेत्र का विस्तार करके, उधारकर्ता की वित्तीय क्षमता के साथ ऋण सीमा को जोड़कर और एक समान न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि की आवश्यकता के निर्धारण द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया है। इसमें ईसीबी के लिए उधार लेने की लागत की सीमा को हटाना, अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को उदार बनाना और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का सरलीकरण भी शामिल है।
विनियमन विभाग	
09 अप्रैल 2025	*दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण का मसौदा, निदेश, 2025*: सरफेसी[3] अधिनियम, 2002 के तहत प्रणाली के पूरक के रूप में विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त ऋण जोखिम को प्रतिभूतित करने में सक्षम बनाने के लिए, सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मसौदा ढांचा जारी किया गया था।
21 अप्रैल 2025	• *चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) - उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) पर हेयर कट की समीक्षा और जमाराशियों की कुछ श्रेणियों पर संरचना और अपवाह दरों की समीक्षा[4]:* इन दिशानिर्देशों ने कुछ श्रेणी की जमाराशियों के लिए अपवाह दरों को संशोधित किया और लेवल 1 एचक्यूएलए वाली मूल्यांकित सरकारी प्रतिभूतियों के लिए हेयरकट लागू किया। • *नाबालिगों के जमा खाते*: बैंकों द्वारा नाबालिगों के जमा खाते खोलने और उनमें प्रचालन करने के संबंध में संशोधित और सामंजस्यपूर्ण अनुदेश जारी किए गए थे। इन अनुदेशों के अनुसार, किसी भी उम्र के नाबालिग अपने प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के माध्यम से या अभिभावक के रूप में मां के साथ बचत और सावधि जमा खाते खोल सकते हैं और संचालित कर सकते हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग, यदि वे चाहें तो, स्वतंत्र रूप से बचत/सावधि जमा खाते खोल सकते हैं और संचालित कर सकते हैं।

2 केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली।

3 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन।

4 अब भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - आस्ति देयता प्रबंधन) निदेश, दिनांक 28 नवंबर, 2025 के तहत समेकित।

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
07 मई 2025	*विनियमों के निर्माण के लिए रूपरेखा*: एक मानकीकृत, पारदर्शी और परामर्शी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा नियमों के निर्माण, संशोधन और समीक्षा के लिए व्यापक सिद्धांत निर्धारित[5] किए गए। प्रमुख प्रक्रियाओं में शामिल हैं (i) सार्वजनिक परामर्श; (ii) प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों के उत्तर का सामान्य विवरण जारी करना; (iii) प्रभाव विश्लेषण (जहां तक संभव हो); और (iv) आवधिक समीक्षा।
08 मई 2025	*भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025*[6]: मौजूदा और नए निर्देशों को समेकित किया गया, जिसमें आरई को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया कि ऋण देने वाले सेवा प्रदाता (एलएसपी) उधारकर्ताओं को सभी ऋण प्रस्तावों को प्रदर्शित करें जब इसमें कई ऋणदाता शामिल हों। इसके अलावा, डिजिटल लेंडिंग ऐप (डीएलए) की एक सार्वजनिक निर्देशिका प्रस्तुत की गई ताकि उधारकर्ताओं को आरई के साथ अपने लिंक को सत्यापित करने में मदद मिल सके।
22 मई 2025	सार्वजनिक परामर्श के लिए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए पूंजी जुटाने के अवसरों पर चर्चा पत्र जारी किया गया था।
06 जून 2025	• *गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – सूक्ष्म-वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) अर्हक आस्ति:* एनबीएफसी-एमएफआई को अपनी आस्तियों में विविधता लाने की अनुमति देने के लिए मानदंड को उनकी कुल आस्ति के 75 प्रतिशत से संशोधित कर कुल आस्तियों के 60 प्रतिशत (अमूर्त आस्तियों द्वारा निवल) कर दिया गया है। • *सोने और चांदी के बदले ऋण संपार्श्विक निदेश, 2025*: (i) विभिन्न आरई में एक सामंजस्यपूर्ण विनियामकीय ढांचा स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे; (ii) प्रचलित ऋण पद्धतियों से संबंधित चिंताओं का समाधान करना और कतिपय पहलुओं पर स्पष्टता प्रदान करना; और (iii) आचरण से संबंधित पहलुओं को मजबूत करना।
12 जून 2025	• *अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में संशोधन*: केवाईसी के समय-समय पर अपडेशन को आसान बनाया गया है, विशेष रूप से व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए, जिसमें *प्रधानमंत्री जन धन योजना* (पीएमजेडीवाई) खाताधारक भी शामिल हैं। आरई कम जोखिम वाले व्यक्तिगत ग्राहकों के खातों में सभी लेनदेन की अनुमति देंगे और अपनी नियत तारीख के एक वर्ष के भीतर या 30 जून, 2026 तक, जो भी बाद में हो, केवाईसी का अद्यतन सुनिश्चित करेंगे। केवाईसी अपडेशन के लिए अनिवार्य ग्राहकों को पूर्व सूचना और अनुस्मारक और कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) की सेवाओं की अनुमति दी गई है। • *बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमा राशि - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025:* 23 मई, 2025 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया। तदनुसार, 'निष्क्रिय खाते/ बैंकों में अदावी जमाराशि - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025' 12 जून 2025 को जारी किया गया था। इसके बाद, इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण) निदेश, 2025 के तहत समेकित किया गया था और 28 नवंबर, 2025 को विनियमित इकाई-वार या आरई-वार जारी किया गया था।
19 जून 2025	*परियोजना वित्त निदेश, 2025*[7]: परियोजना वित्त एक्सपोजर में दबाव के समाधान के लिए एक सिद्धांत-आधारित व्यवस्था प्रस्तुत करता है जिसमें किसी भी आस्ति वर्गीकरण को डाउनग्रेड किए बिना वाणिज्यिक संचालन (डीसीसीओ) शुरू करने की तारीख को स्थगित करने की लचीलापन शामिल है। परियोजना निष्पादन जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय समापन से पहले अनिवार्य रूप से मंजूरी प्राप्त करने सहित समुचित सावधानी संबंधी आवश्यकताओं को बढ़ाने; इस क्षेत्र में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए ऋणदाताओं की न्यूनतम हिस्सेदारी और ऋणदाताओं के बीच एक सामान्य ऋण समझौते की शर्त का भी निर्धारण करता है।
20 जून 2025	*लघु वित्त बैंकों के लिए पीएसएल मानदंडों की समीक्षा*: समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 60 प्रतिशत या तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र (सीईओबीई) के बराबर ऋण को संशोधित किया गया, जो भी मौजूदा 75 प्रतिशत से अधिक हो।

5 इस ढांचे के प्रयोजन के लिए, ''विनियमों'' में सभी विनियम, निर्देश, दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं, आदेश, नीतियां, विनिर्देश और मानक शामिल हैं जो रिज़र्व बैंक द्वारा अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों द्वारा या उसके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

6 अब 28 नवंबर, 2025 को जारी किए गए विनियमित-इकाई के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट सुविधाएं) निदेश के तहत समेकित किया गया है।

7 अब 28 नवंबर, 2025 को विनियमित-इकाई के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान) निदेश, भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण सुविधाएं) के अंतर्गत समेकित रूप से जारी किए गए।

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
02 जुलाई 2025	*ऋण पर पूर्व-भुगतान शुल्क निदेश, 2025*: व्यक्तियों और एमएसई को स्वीकृत ऋणों पर पूर्व-भुगतान शुल्क लगाने पर सामंजस्यपूर्ण ढांचा।
10 जुलाई 2025	*केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड (सीजीआईएल) रेटिंग*: सीजीआईएल को आरबीआई परिपत्र *के माध्यम से* आईएफएससी से उत्पन्न होने वाले अनिवासी कॉरपोरेट एक्सपोजर की रेटिंग के लिए मान्यता दी गई थी[8]। आईएफएससी से उत्पन्न होने वाले एक्सपोज़र की रेटिंग पर भौगोलिक प्रतिबंध में 9 जनवरी, 2026 से ढील दी गई।
29 जुलाई 2025	*वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश निदेश, 2025*[9]: संशोधित दिशानिर्देश आरई के व्यक्तिगत योगदान को कोष के 10 प्रतिशत (आरई में सामूहिक रूप से 20 प्रतिशत) तक सीमित करते हैं। देनदार कंपनियों में डाउनस्ट्रीम निवेश के साथ एआईएफ में निवेश करने के लिए आरई को कुछ लचीलापन प्रदान किया गया है।
06 अगस्त 2025	• *सह-उधार व्यवस्था निदेश, 2025*: फ्रेमवर्क का विस्तार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणों से आगे किया गया और सह-ऋण के लिए एक व्यापक-आधारित ढांचा प्रदान करने के लिए संशोधित निर्देश जारी किए गए। • *गैर-निधि आधारित ऋण सुविधा निदेश, 2025*: गैर-निधि-आधारित सुविधाओं जैसे गारंटी, ऋण पत्र और सह-स्वीकृति जारी करने के लिए सामंजस्यपूर्ण और सिद्धांत-आधारित ढांचा। आंशिक ऋण वृद्धि (पीसीई) से संबंधित पहलुओं को उदार बनाता है जिसमें प्रति आरई एक्सपोजर सीमा, पीसीई जारी करने के लिए अनुमत पात्र आरई की सूची और उनकी पूंजी आवश्यकताएं शामिल हैं।
14 अगस्त 2025	• *माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन (30 अप्रैल, 2025):* आरई को विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए वित्तीय सेवाओं की सामान्य पहुंच से संबंधित 30 अप्रैल, 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के सूचित किया गया। • *केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन*: समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करना और केवाईसी की प्रक्रियाओं को आसान बनाना और दिव्यांगजनों सहित विशेष आवश्यकताओं वाले ग्राहकों के लिए केवाईसी को अपडेट करना। आरई को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया था कि उनकी ग्राहक स्वीकृति नीतियों के परिणामस्वरूप आम जनता, विशेष रूप से उन लोगों को बैंकिंग/वित्तीय सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा जो पीडब्ल्यूडी सहित वित्तीय या सामाजिक रूप से वंचित हैं। सभी आरई सेवाओं से गैर-अस्वीकृति, अस्वीकृति के कारणों को रिकॉर्ड करने और लचीली 'जीवंतता जांच› आवश्यकताओं के साथ-साथ वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान विधि (वी-सीआईपी) प्रक्रियाओं में बहिष्करण से बचाव सुनिश्चित करेंगे।
17 सितंबर 2025	*विनियामक समीक्षा तंत्र :* 1 अक्तूबर, 2025, विनियमन विभाग के भीतर, विनियामक *समीक्षा कक्ष का गठन* किया गया है, जो प्रत्येक 5-7 वर्षों में कम-से-कम एक बार रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रत्येक विनियमन की व्यापक, उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से समीक्षा करेगा। इसके अलावा, विनियामकीय प्रक्रिया में हितधारकों की भागीदारी को मजबूत करने और निरंतर आधार पर उद्योग विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए, छह बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए विनियमन पर एक स्वतंत्र सलाहकार समूह (एजीआर) का गठन किया गया है, जो 1 अक्तूबर, 2025 से प्रभावी है।
26 सितंबर 2025	*मृतक ग्राहकों के संबंध में दावों का निपटान संबंधी बैंक निदेश, 2025*: मृतक ग्राहक की जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के संबंध में बैंकों द्वारा दावों के निपटान के लिए ढांचे को सामंजस्यपूर्ण बनाता है और प्रपत्रों का मानक रूप प्रदान करता है तथा नामांकित व्यक्तियों, उत्तरजीवियों और विधिक रूप से उत्तराधिकारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करता है।
29 सितंबर 2025	• *सोने और चांदी के समपार्श्विक पर ऋण (पहला संशोधन) निदेश, 2025*: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ टियर 3 और टियर 4 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को ज्वैलर्स को छोड़कर विनिर्माण या औद्योगिक प्रसंस्करण में कच्चे माल के रूप में सोने की आवश्यकता रखने वाले किसी भी उधारकर्ता को कार्यशील पूंजी ऋण देने की अनुमति देता है।

8 अब 28 नवंबर, 2025 को विनियमित-इकाई के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (पूँजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड) के अंतर्गत समेकित रूप से जारी किए गए।
9 अब भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय सेवाओं का उपक्रम) के तहत समेकित 28 नवंबर, 2025 को विनियमित-इकाई वार जारी निदेश।

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
29 सितंबर 2025	• *अग्रिमों पर ब्याज दर (संशोधन निदेश), 2025*: ग्राहक प्रतिधारण के लिए तीन साल में एक से कम अंतराल पर, उचित आधार पर, गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से, और अस्थिर दर वाले ऋण के लिए बैंक की नीति के अनुरूप 'ऋण जोखिम प्रीमियम› के अलावा अन्य प्रसार घटकों में कमी की अनुमति देता है। आरई बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, उधारकर्ताओं को पुनर्निर्धारण (रीसेट) के समय एक निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प दे सकता है।
30 सितंबर 2025	*त्वरित भुगतान की सुविधा के लिए योजना - निष्क्रिय खाते और अदावाकृत जमा:* निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय करने और खातों की निष्क्रियता की अवधि और डीईए निधि में जमा अदावाकृत राशि के आधार पर अंतर भुगतान के माध्यम से अदावाकृत जमा राशि/निष्क्रिय खातों के निपटान हेतु बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक वर्ष (1 अक्तूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026) के लिए इसे शुरू किया गया।
07 अक्तूबर 2025	• *अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक - ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार- मानकीकृत दृष्टिकोण मसौदा निदेश, 2025: इसमें कॉरपोरेट्स,* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा स्थावर संपदा के लिए एक्सपोज़र के लिए ग्रैलुनर जोखिम भारिता के माध्यम से जोखिम संवेदनशीलता में वृद्धि करने का, संशोधित ऋण संपरिवर्तक कारक, खुदरा श्रेणी में लेन-देन को शामिल किया जाना, जहां लेनदेन पिछले 12 महीनों के दौरान समय पर पुनर्भुगतान वाले क्रेडिट कार्ड हैं, और ये प्रत्येक रेटिंग एजेंसी के लिए ऐसे ऋणों के चूक विवरण और बैंकों द्वारा समुचित सावधानी के साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेट किए गए ऋणों पर लागू जोखिम भारिता के आधार पर उपयुक्तरूप से समायोजित किए गए हैं। हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर उपयुक्त संशोधन के साथ अंतिम निदेश 27 अप्रैल, 2026 को जारी किए गए थे और 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी हैं। • *अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और एआईएफआई - आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और आय निर्धारण मसौदा निदेश, 2025*: अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित प्रावधानीकरण और आय निर्धारण के लिए प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) ढांचे को प्रस्तुत करता है और 1 अप्रैल, 2027 से इसे लागू करने का प्रस्ताव देता है। इस संबंध में अंतिम निदेश 27 अप्रैल, 2026 को जारी किया गया है।
28 अक्तूबर 2025	*बैंकों के पास जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के लिए नामांकन* सुविधा निदेश 2025: यह क्रमशः बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 2025 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित नामांकन संबंधी प्रावधानों और नियमों को लागू करता है।
14 नवंबर 2025	*व्यापार राहत उपाय निदेश, 2025*: यह निर्यातकों को छूट प्रदान करता है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ,* निर्दिष्ट अवधि के भीतर आने वाले सभी ऋणों पर अधिस्थगन अवधि और लदान पूर्व तथा लदान के बाद के ऋण के लिए अधिकतम ऋण में वृद्धि शामिल है।
28 नवंबर 2025	*मास्टर निदेशों का समेकन*: विनियमन विभाग द्वारा ‹डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण' पर सात नए इकाई-वार मास्टर निदेशों को 'जैसा है› के आधार पर के साथ 237 मास्टर निदेश जारी किए गए। ये 244 निदेश 11 प्रकार की विनियमित संस्थाओं के लिए अलग से जारी किए गए हैं और विभिन्न विनियामकीय क्षेत्रों में एकजुट रूप से संगठित किए गए हैं।
04 दिसंबर 2025	• *स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) के लिए संशोधन निदेश:* जीएमएल योजना से संबंधित अनुदेशों में संशोधन वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए थे[10]। • *बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने पर दिशानिर्देशों को वापस लेना:* 25 अगस्त, 2016 के पहले के दिशानिर्देशों को 1 जनवरी, 2026 से वापस ले लिया गया था। बैंकों को अति-बड़े उधारकर्ताओं के लिए अपने जोखिम की निगरानी और उसका समाधान करने के लिए व्यवस्था करना अनिवार्य है, जो अत्यधिक लीवरेज लेते हैं और बैंकिंग प्रणाली से बड़े उधार लेते हैं।

[10] भुगतान बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर।

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
04 दिसंबर 2025	• *वाणिज्यिक बैंक - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन संशोधन निदेश, 2025:* बड़े एक्सपोज़र फ्रेमवर्क (एलईएफ) को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी करते हुए अंतर-समूह लेनदेन और एक्सपोज़र (आईटीई) पर निदेशों को युक्तिसंगत बनाया गया था, और रिज़र्व बैंक के पास विदेशी बैंकों (शाखा के माध्यम से काम करने वाली) द्वारा रखे गए धन से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम शमन (सीआरएम) लाभ का दायरा बढ़ाया गया था। इसके अलावा, एलईएफ अनुदेशों के अनुरूप, आईटीई की गणना के लिए ऋण संपरिवर्तक कारकों और सीआरएम ऑफसेट का उपयोग किया गया, और इन सीमाओं को टियर 1 पूँजी से जोड़ा गया। • *साख सूचना रिपोर्टिंग पर संशोधन निदेश:* क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी को अधिक बार प्रस्तुत करना अनिवार्य करता है, जो 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी है। • *शाखा प्राधिकार निदेश:* प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के लिए कारोबार के स्थान के लिए अनुमति, नाम में परिवर्तन और समय-निर्धारण से संबंधित निर्देशों/दिशानिर्देशों को सुसंगत और समेकित किया गया। • *बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता:* संशोधित अनुदेशों में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता के बिना निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं: o प्रति वर्ष न्यूनतम पच्चीस चेक लीव वाली चेक बुक; o इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुविधा; तथा o खाताधारक के अनुरोध के अनुसार, पासबुक के बदले में *पासबुक या खाते का मासिक विवरण*, या तो प्रिंट में या ई-मेल द्वारा।
05 दिसंबर 2025	*वित्तीय सेवाएं व्यवसाय निदेश, 2025:* विभिन्न आरई के लिए गैर-प्रमुख वित्तीय सेवाओं से बैंकों की मुख्य गतिविधियों को अलग करने पर संरचना को अद्यतन किया गया।
11 दिसंबर 2025	• *नकद ऋण खातों, चालू खातों और ओवरड्राफ्ट (ओडी) खातों के रखरखाव पर संशोधन निदेश*: बैंकों के साथ नकद ऋण खातों के रखरखाव पर लगाए गए पहले के प्रतिबंधों को वापस लिया गया है। जिन बैंकों को उधारकर्ता के लिए बैंकिंग प्रणाली के कुल एक्सपोज़र में या किसी उधारकर्ता के लिए बैंकिंग प्रणाली के कुल निधि-आधारित एक्सपोज़र में न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी है, उन्हें बिना किसी प्रतिबंध के चालू खातों और ओवरड्राफ्ट खातों को बनाए रखने की अनुमति देता है। उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले बैंक चालू खातों या ओडी खातों को केवल संग्रह खातों के रूप में बनाए रख सकते हैं। • *'पखवाड़े' की परिभाषा*: बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अधिनियमन के अनुसार, बैंकों द्वारा सीआरआर और वैधानिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) रखरखाव और रिपोर्टिंग के उद्देश्य से ‹पखवाड़े' की परिभाषा को «शनिवार से अगले शुक्रवार तक की अवधि, दोनों दिन शामिल" से संशोधित करके 15 दिसंबर, 2025 से प्रभावी करते हुए "प्रत्येक कैलेंडर महीने के पहले दिन से पंद्रहवें दिन तक या प्रत्येक कैलेंडर महीने के सोलहवें दिन से अंतिम दिन तक, दोनों दिन शामिल करते हुए", की अवधि किया गया।
29 दिसंबर 2025	*आरई-वार केवाईसी निदेश, 2025 में संशोधन*: ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी) और आरई की अन्य ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) प्रक्रिया से संबंधित जिम्मेदारियों को चित्रित करता है, जिसमें सीकेवाईसीआर पर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को अपलोड[11] *करता है,* जबकि सीकेवाईसीआर से आरई इसे डाउनलोड करता है।
01 जनवरी 2026	*बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एनबीएफसी के एक्सपोज़र के लिए जोखिम भारिता ढांचा:* बुनियादी ढांचे के जोखिम के लिए कुछ उच्च-गुणवत्ता वाली शर्तों और पुनर्भुगतान सीमाओं को पूरा करने पर जोखिम भारिता को सामंजस्यपूर्ण बनाया गया है।

[11] अपने ग्राहक को जाने केंद्रीय रिकॉर्ड रजिस्ट्री।

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
05 जनवरी 2026	*संबंधित पक्षकारों को ऋण देने पर निदेशों में संशोधन:* स्केल-आधारित मैटेरियालिटी सीमा लाया गया, जिसके बाद संबंधित पक्षकारों को संवर्धित अभिशासन और प्रकटीकरण अपेक्षाओं के साथ-साथ एक्सपोज़र के लिए बैंक बोर्ड या उसकी नामित समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। बैंकों के बीच पारस्परिक या पारस्परिक ऋण व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को दूर करने के लिए, यह निदेश 'पारस्परिक रूप से संबंधित व्यक्ति' की अवधारणा का परिचय देते हैं।
08 जनवरी 2026	जनता/हितधारकों की टिप्पणियों के लिए ‹भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - अभिशासन) संशोधन निदेश, 2026› का मसौदा और ‹भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - अभिशासन) संशोधन निदेश, 2026› का मसौदा जारी किया गया था। इनमें किसी निदेशक के उसी बैंक के बोर्ड में फिर से शामिल होने के लिए 10 साल के लगातार कार्यकाल के बाद तीन साल की अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि निर्धारित की गई है।
13 जनवरी 2026	'शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को लाइसेंस प्रदान करने' के संबंध में चर्चा पत्र जनता/हितधारकों की टिप्पणियों के लिए जारी किया गया था।
27 जनवरी 2026	सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए ‹वाणिज्यिक बैंक - प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय, 2026› का मसौदा जारी किया गया था। अंतिम निदेश 29 अप्रैल, 2026 को जारी किए गए थे।
06 फरवरी 2026	भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - शाखा प्राधिकरण) पर मसौदा संशोधन निदेश जारी किए गए। अंतिम निर्देश 15 अप्रैल, 2026 को जारी किए गए थे।
10 फरवरी 2026	• कुछ शर्तों के अधीन रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकरण आवश्यकता से पात्र ‹सार्वजनिक धन का लाभ नहीं उठाने वाली और ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं रखने वाली एनबीएफसी ('टाइप I एनबीएफसी' सहित)' को छूट देने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) संशोधन निदेश, 2026 का मसौदा 10 फरवरी 2026 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया था। अंतिम निदेश 29 अप्रैल, 2026 को जारी किए गए। • गैर-जमानती अग्रिमों और समेकित सीमा की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाते हुए मसौदा संशोधन निदेश जारी किए गए थे, एकल उधारकर्ता गैर-जमानती अग्रिमों के लिए ऋण सीमा में वृद्धि की गई थी, कुछ प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया था तथा टियर 3 और टियर 4 यूसीबी के लिए आवास ऋणों के लिए अवधि और अधिस्थगन आवश्यकताओं को विनियमित किया गया था। अंतिम निदेश 29 अप्रैल, 2026 को जारी किए गए थे।
11 फरवरी 2026	• *एजेंसी व्यवसाय और रेफरल सेवाएं मसौदा*: यह एजेंसी और रेफरल गतिविधियों के बीच अंतर को स्पष्ट करता है; और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं को मजबूत करता है कि ग्राहकों को आरई की भूमिका और जोखिम अवधारणा न होने के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए। कपट बिक्री को रोकने और आकस्मिक जोखिमों को रोकने के लिए अभिशासन, समुचित सावधानी और निरीक्षण आवश्यकताओं को सुदृढ़ करता है। • *विनियमित संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन, विपणन और बिक्री पर मसौदा संशोधन निदेश:* इसमें स्पष्ट ग्राहक सहमति, उपयुक्तता मूल्यांकन, डीएसए/डीएमए के जिम्मेदार आचरण और प्रभावी ग्राहक सुरक्षा और मुआवजा तंत्र सुनिश्चित करते हुए आरई (उनके अपने और तृतीय पक्षकार) द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की कपट बिक्री, डार्क पैटर्न और अनिवार्य बंडलिंग को रोकने का प्रस्ताव है।
12 फरवरी 2026	*ऋणों की वसूली और वसूली एजेंटों की नियुक्ति में विनियमित संस्थाओं के आचरण पर मसौदा संशोधन निदेश:* इसमें उधारकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने, कठोर वसूली प्रथाओं की रोकथाम और वसूली संबंधी गतिविधियों में बैंकों और वसूली एजेंटों की समुचित सावधानी, आचार संहिता, निगरानी और जवाबदेही से संबंधित ढांचे को मजबूत करने के लिए सभी आरई के लिए अनुदेशों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रस्ताव है।

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
13 फरवरी 2026	• *स्थावर संपदा निवेश न्यासों (आरईआईटी) को बैंक ऋण देने पर मसौदा निदेश:* इसमें वाणिज्यिक बैंकों को न्यास स्तर पर सूचीबद्ध आरईआईटी को प्रत्यक्ष वित्तपोषण देने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। बुनियादी ढांचा निवेश न्यास (इनविट) को ऋण देने के मौजूदा दिशानिर्देशों को भी आरईआईटी को ऋण देने के लिए प्रस्तावित विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ समानता के लिए सामंजस्यपूर्ण किया गया था। • *चूक हानि गारंटी (डीएलजी) स्पष्टीकरण*: एनबीएफसी को भारतीय लेखा मानकों (आईएनडीएएस) के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अधीन सभी चरणों में ईसीएल ढांचे के तहत प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए डीएलजी कवर पर विचार करने की अनुमति देता है, जिसके लिए अन्य *बातों के साथ-साथ,* डीएलजी व्यवस्था को ऋण की संविदात्मक शर्तों का अभिन्न अंग होना चाहिए और अलग से मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। एनबीएफसी को भी इंडएएस 1 के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता है। • *ग्रामीण सहकारी बैंक स्पष्टीकरण:* यह आय निर्धारण मानदंडों को स्पष्ट करता है - मानक आस्तियों के लिए उपचय आधार और अनर्जक आस्ति (एनपीए) के लिए नकद आधार।
26 फरवरी 2026	'एनयूसीएफडीसी (प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए छत्र संगठन) द्वारा इक्विटी शेयरों के निजी नियोजन' पर निदेश जारी किए गए।
06 मार्च 2026	*'डिजिटल लेनदेन में ग्राहक दायित्व को सीमित करने के ढांचे की समीक्षा' के लिए मसौदा संशोधन निदेश:* इसमें लेनदेन की श्रेणियों और देयता मानकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक सुरक्षा को मजबूत करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, छोटे मूल्य के धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के मामले में मुआवजा व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव है।
10 मार्च 2026	• *लाभांश ढांचा:* उच्च निवल लाभ, कम निवल एनपीए और पूंजी पर्याप्तता के मामले में उच्च संभावना वाले बैंकों को सक्षम बनाने के लिए ‹लाभांश की घोषणा और लाभ के अंतरण', उच्च लाभांश की घोषणा पर संशोधित विवेकपूर्ण मानदंड। नए निदेश वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी होंगे। • *'प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम - संभावित भविष्यगत एक्सपोज़र की गणना के लिए ऐड-ऑन कारक' पर संशोधन निदेश*[12]: इसमें यह स्पष्ट किया गया कि सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर इक्विटी और पण्य व्युत्पन्नों में समाशोधन सदस्यों के रूप में कार्य करने वाले बैंकों को प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम के लिए पूँजी प्रभार बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा, ब्याज दर, विनिमय दर और सोने के अनुबंधों के लिए वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति (सीईएम) के तहत संभावित भविष्यगत एक्सपोज़र (पीएफई) के लिए ऐड-ऑन कारकों को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) दिशानिर्देशों के साथ बड़े पैमाने पर संरेखित करने के लिए संशोधित किया गया। • *भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) दूसरा संशोधन निदेश, 2026* जारी किया गया।
16 मार्च 2026	*वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण संशोधन निदेश, 2026: 'निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) बीमा प्रीमियम से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं को 'जोखिम आधारित प्रीमियम (आरबीपी) फ्रेमवर्क' के साथ जोड़ा गया था। 1 अप्रैल, 2026 से, बैंकों को वार्षिक रिपोर्ट में यह प्रकट करना आवश्यक है कि 'जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान डीआईसीजीसी को निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया था' या नहीं।*
30 मार्च 2026	*पूँजी बाजार एक्सपोज़र पर संशोधन निदेश:* ये निदेश (i) भारतीय कॉरपोरेट्स द्वारा अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए वाणिज्यिक बैंकों (एसएफबी को छोड़कर) के लिए एक सक्षम ढांचा प्रदान करते हैं; (ii) शेयरों, आरईआईटी की इकाइयों, इनविट आदि के बदले बैंकों द्वारा व्यक्तियों को ऋण देने की सीमा को युक्तिसंगत बनाते हैं; और (iii) पूँजी बाजार मध्यस्थों को ऋण देने के लिए एक अधिक सिद्धांत-आधारित ढांचा स्थापित करते हैं।

[12] अब दिनांक 28 नवंबर, 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूँजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के तहत समेकित किया गया है।

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
31 मार्च 2026	*व्यापार राहत उपाय निदेश, 2026: पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक व्यापार में लगातार आ रहे व्यवधानों को देखते हुए, 30 जून, 2026 तक वितरित लदान पूर्व और लदान के पश्चात निर्यात ऋण के लिए उधार अवधि को बढ़ाकर 450 दिन कर दिया गया है।*
फिनटेक विभाग	
09 अप्रैल 2025	रिज़र्व बैंक ने विनियामकीय सैंडबॉक्स के तहत ‹ऑन टैप› सुविधा के हिस्से के रूप में ‹थीम न्यूट्रल’ अनुप्रयोगों की अनुमति दी।
13 अगस्त 2025	‘वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एफआरईई-एआई) की उत्तरदायी और नैतिक सक्षमता के लिए एक ढांचा’ विकसित करने के लिए समिति की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई।
23 अक्तूबर 2025	रिज़र्व बैंक ने अपना चौथा वैश्विक हैकथॉन – HaRBInger 2025 लॉन्च किया, जिसका विषय ‹सुरक्षित बैंकिंग: पहचान, एकनिष्ठता और समावेशिता द्वारा संचालित’ था।
पर्यवेक्षण विभाग	
06 फरवरी 2026	रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक यूसीबी के लिए मिशन सक्षम[13] *(सहकारी* बैंक क्षमता निर्माण) शुरू करने की घोषणा की - एक क्षेत्र व्यापी क्षमता निर्माण और प्रमाणन ढांचा। इस क्षेत्र के क्षमता निर्माण को सभी कार्यों में लगभग 1.4 लाख प्रतिभागियों को समाहित करने के लिए प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ एक वृहद शिक्षण प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा।
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	
07 अक्तूबर 2025	राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 के दायरे में लाया गया था।
14 जनवरी 2026	ग्राहकों की शिकायतों का सार्थक और समय पर समाधान प्रदान करने के लिए, विनियमित इकाई की प्रत्येक श्रेणी के लिए विशिष्ट आंतरिक ओम्बड्समैन पर छह मास्टर निदेश जारी किए गए थे।
16 जनवरी 2026	संचालन अनुभव, हितधारकों की प्रतिक्रिया और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 की व्यापक समीक्षा की गई। संशोधित रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2026 को अधिसूचित किया गया था, जो 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी। संशोधित योजना से रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन ढांचे को मजबूत करने और शिकायतों के समाधान में और अधिक दक्षता लाने की उम्मीद है।
आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग	
27 मार्च 2025	2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2025) के लिए भारत सरकार (जीओआई) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) सीमा ₹1,50,000 करोड़ तय की गई।
12 जून 2025	रिज़र्व बैंक ने संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से और बाजार सहभागियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) शुरू किया।
26 सितंबर 2025	2025-26 की दूसरी छमाही (अक्तूबर 2025 से मार्च 2026) के लिए भारत सरकार के लिए डबल्यूएमए सीमा ₹50,000 करोड़ निर्धारित की गई थी।
05 जनवरी 2026	भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21ए की उप-धारा (1) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के साथ एक समझौता किया, ताकि जीएनसीटीडी के सामान्य बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सके और इसके रुपये के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन किया जा सके।
09 जनवरी, 2026	जीएनसीटीडी की डब्ल्यूएमए सीमा 890 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी, जिससे सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कुल डब्ल्यूएमए सीमा 61,008 करोड़ रुपये हो गई।

[13] मिशन सक्षम को बाद में 28 अप्रैल, 2026 को लॉन्च किया गया था।

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
	मुद्रा प्रबंधन विभाग
25 अप्रैल 2025	बैंकों द्वारा करेंसी चेस्ट (सीसी) खोलने, स्थानांतरित करने और बंद करने के लिए आवेदन प्राप्त करने की मौजूदा प्रक्रिया को संशोधित किया गया था। तदनुसार, सीसी खोलने, स्थानांतरित करने और बंद करने के लिए सभी आवेदन प्रासंगिक प्रपत्रों के तहत आरबीआई की वेबसाइट पर प्रवाह[14] पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किए जा रहे हैं।
28 अप्रैल 2025	सभी बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डब्ल्यूएलएओ) को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है कि उनके एटीएम नियमित आधार पर 100 रुपये और/या 200 रुपये के बैंक नोट वितरित करें।
01 जुलाई 2025	सिटीजन चार्टर के तहत समाहित की जाने वाली सेवाओं के दायरे की समीक्षा की गई जिसमें पोस्टल कवर, ट्रिपल लॉक रिसेप्टेकल (टीएलआर) और सामान्य हैंडलिंग का सामना नहीं कर सकने वाले नोटों के अदला-बदली की सेवाएं शामिल हैं।
10 सितंबर 2025	भारतीय मुद्रा माइक्रोसाइट (https://indiancurrency.rbi.org.in*) को पहले के* 'पैसा बोलता है' माइक्रोसाइट *की जगह लॉन्च किया गया था*। माइक्रोसाइट जनता के सदस्यों को भारतीय बैंकनोटों पर जानकारी तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसमें बैंक नोटों के अदला-बदली के बारे में जानकारी के लिए एक समर्पित खंड भी है।
29 सितंबर 2025	सीसी की स्थापना और संचालन की लागत में व्यापक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, गैर-सीसी शाखाओं द्वारा की गई जमा राशि के लिए सीसी द्वारा लगाए गए सेवा शुल्क को 1 अक्तूबर, 2025 से बढ़ाया गया था।
	भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
27 जून 2025	पहचान *की चोरी या ग्राहक क्रेडेंशियल्स के साथ समझौता करने के कारण आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी से बैंक ग्राहकों को बचाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने एईपीएस टचप्वाइंट ऑपरेटरों को शामिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए निर्देश जारी किए।*
13 अगस्त 2025	चेक ट्रंकेशन सिस्टम में वसूली पर निरंतर समाशोधन और निपटान शुरू किया गया था। 4 अक्तूबर, 2025 से संक्रमण का चरण-1 लागू किया गया था।
15 सितंबर 2025	रिज़र्व बैंक द्वारा पीए-प्रत्यक्ष, पीए-ऑनलाइन और पीए-सीमापारीय (पीए-सीबी) व्यवसाय के विनियमन के लिए 'भुगतान एग्रीगेटर (पीए) के विनियमन' पर समेकित मास्टर निदेश जारी किया गया था। इस निदेश के माध्यम से, पीए-प्रत्यक्ष को भी विनियामकीय दायरे में लाया गया था। इसके अलावा, पीए संस्थाओं के लिए प्राधिकरण आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाया गया।
25 सितंबर 2025	'भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण तंत्र) निदेश, 2025' वैकल्पिक प्रमाणीकरण तंत्र को लागू करने हेतु तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के लिए भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने के लिए जारी किए गए थे। उक्त निदेश एक व्यापक सिद्धांत प्रदान करते हैं जिसमें प्रमाणीकरण का उपयोग करते समय भुगतान श्रृंखला में शामिल सभी प्रतिभागियों द्वारा अनुपालन की आवश्यकता होती है।

[14] नियामकीय आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच।